प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/219596/PRG/PRATAPGARH/1467/CFO

दिनांक: 23-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST JOSEPHS SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **493,503,527.....530,533,588 CIVIL LINES,BUDIYA DEVI MANDIR ROAD,PRATAPGARH** तहसील - **SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
school	3	0	11.2 mt.

तथा प्लाट एरिया **16141.93 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST JOSEPHS SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनाँक **25-09-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ROBERT SUNIL, stjosephspbh@gmail.com, 7408304000** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal ofFire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-09-2026** से **25-09-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

Note : निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धो के अधीन निर्गत है
भवन में ढांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राईज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शासनादेश संख्या:18/छः-पु0-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांकः07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/ प्रबन्धक की होगी। भवन के विद्युत लोड से सम्बन्धित विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र व ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। निर्मित ढांचागत व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJU

75532410B25415C37D01FE9722698EC87BB70004

26-09-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-09-2026
स्थान : PRATAPGARH

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.